महत्वपूर्ण

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लाट नम्बर 28,जेल रोड अरेरा हिल्स,भोपाल

भोपाल,दिनांक 17.03.2020

क्रमांक / पोआ / 20 / 4400

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त (म.प्र)

विषयः– नोवल कोरोना वायरस (**covid-19**) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों को बन्द किए जाने के फलस्वरूप 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन,महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2101–2103 / 2830 / 18 / 50–2,दिनांक 12.09.2018

....

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र. / आई.सी.डी.एस / 20 / 4354, दिनांक 14.03.2020 एवं पत्र क्र.4356,दिनांक 15.03.2020 का कृपया अवलोकन कीजिए । राज्य शासन द्वारा लिए निर्णयानुसार नोवल कोरोना वायरस (covid-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को 31.03.2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

माह मार्च 2020 मे आंगनवाडी केन्द्र बन्द रहने की अवधि तक 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को हॉट कुक मील प्रदायकर्ता स्व सहायता समूहों के माध्यम से ही ताजा पका नाश्ता / भोजन / थर्ड मील के स्थान पर गुणवत्तायुक्त रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाना है । रेडी टू ईट का प्रदाय साप्ताहिक रूप से पात्र हितग्राहियों को ही किया जावे । राज्य शासन के संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं प्रति हितग्राही प्रतिदिवस निर्धारित नार्मस तथा दर के अनुरूप ही रेडी टू ईट के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जावे ।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त,
महिला बाल विकास विभाग,म.प्र.
भोपाल, दिनांक 17.03.2020

पृ.क्रमांक / पो.आ. / 20 / 4401
प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,महिला एवं बाल विकास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास,जिला–समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,
महिला एवं बाल विकास,म.प्र.

Jan.Later.2020